राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

कमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांकः 30 DEC 2021

–:परिपत्र:–

विषयः–समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन भरने के सम्बन्ध में।

राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है जिसके बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

1. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी 2022 की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेंगा। उसके बाद अचल सम्पति विवरण नहीं भरा जा सकता।
2. जो अधिकारी/कर्मचारी अपने अचल सम्पति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नहीं भरेगें। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नही दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नही किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं उपकमों पर भी लागू है।
3. जिन राजपत्रित कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपना वर्ष 2021 का अचल सम्पति विवरण ऑन–लाईन नहीं भरा था उनके द्वारा अपना वर्ष 2022 का अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2022 तक ऑन–लाईन भरने पर उनको वर्ष 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावें।
4. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपकमों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

30/12/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) प्रशासन/आकाशि/2022/ 60 दिनांक : 07.01.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
2. समस्त सहायक निदेशक कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान
3. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु

7.1.2022

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return)

SSO Login
sso.rajasthan.gov.in

नही → सफलता पूर्वक Login नहीं होने की दशा में SSO Helpdesk पर सम्पर्क करे।
SSO Helpdesk No :- 0141-2925564/5
email:- helpdesk.sso@rajasthan.gov.in

↓ हाँ

G2G में राज काज लिंक चुने

→ **राजकाज के प्रथम बार उपयोगकर्ता (First time User)**

↓

एस.एस.ओ. आईडी Enter कर Fetch Details बटन पर क्लिक करने पर आपका डाटा दिखाई देगा। राजकाज में निम्न विवरण भरे –

- Personal Profile Data
- Appointing Department
- Posted Department
- Service Type
- Cadre
- Designation
- Pay Commission
- Employee Pay Scale

→ **राज–काज के पहले से उपयोगकर्ता**

↓

अचल संपत्ति विवरण (IPR) प्रक्रिया
Employee Cornor >> IPR विकल्प चुने।

↔
- अपना डाटा जाँचे।
- प्रोफाईल डेटा सही होने की स्थिति में आगे बढे।
- प्रोफाईल सही कराने के लिए अपने विभाग के राज–काज नोडल /संस्थापन शाखा में सम्पर्क करे।

↓

संपत्ति नहीं होने के दशा में

कार्मिक अथवा परिवारजन (पत्नी/बच्चों) के नाम की अचल संपत्ति शून्य होने की स्थिति में "Please Check to fill IPR with No Property Return" पर क्लिक कर Submit करे।

संपत्ति होने के दशा में

क्या अचल सम्पत्ति विवरण राज–काज द्वारा पहली बार भरा जा रहा है

↓ नही

पूर्व वर्ष में भरे गये अचल संपत्ति विवरण को one by one Select कर अपडेट करे। किसी प्रकार का बदलाव होने (क्रय/विक्रय, मुल्य अन्य परिवर्तन) की स्थिति में Add/Delete/Update करें।

↓ हाँ

अचल संपत्ति होने की स्थिति में कार्मिक/परिवारजन (पत्नी/बच्चे) के नाम की अचल संपत्ति का विवरण Save करें। (एक से अधिक सम्पत्ति होने पर अगली संपत्ति का विवरण भरें)

↓

अचल संपत्ति विवरण Submit करने के पश्चात अपना आधार नम्बर डाल कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर IPR भरने की प्रक्रिया पूर्ण करें। यथ संभव Submitted IPR की PDF copy को Save रखें।

राज–काज हैल्पडेस्क सम्पर्क सूत्र– फोन: 0141–2922281, ई–मेल: rajkaj.ipr@rajasthan.gov.in